न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 18/2018

1. भवानीशंकर पुत्र } माधोलाल जाति ब्राहमण निवासी रायथल तह0 मांगरोल
2. रघुनंदन पुत्र }
3. रामप्रसाद पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल
4. रामचन्द्र पुत्र मोहनलाल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल
5. सुमित्रा पत्नि रामचन्द्र जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल
6. बद्रीलाल पुत्र मूलीलाल जाति कलाल निवासी रायथल तह0 मांगरोल
7. कल्याणमल पुत्र प्रभुलाल जाति मीणा निवासी रायथल तह0 मांगरोल

......प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गतधारा 251 (क)</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थीगण : श्री बुद्धी प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 30.05.2018

निर्णय दिनांक : 30.05.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मूण्डला में प्रार्थी क्रम 1 व 2 की आराजी खाता संख्या 79 खसरा नं0 8 रकबा 7.01 है0, खसरा नं0 11 रकबा 1.07 है0, कुल किता 2 रकबा 8.08 है0 स्थित है। प्रार्थी क्रम 3 के खाते की आराजी खाता संख्या 462 खसरा नं0 1751 रकबा 1.55 है0, खसरा नं0 1752 रकबा 0.59 है0, व प्रार्थी क्रम 4 व 5 की आराजी खाता संख्या 441 खसरा नं0 1753 रकबा 0.75 है0, व प्रार्थी क्रम 6 की खाता आराजी खाता संख्या 257 खसरा नं0 1757/2376 रकबा 0.74 है0 स्थित है। प्रार्थीगण को उक्त आराजी में काश्त करने के लिए आने जाने का रास्ता खसरा नं0 10 में होकर है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है। जिससे प्रार्थीगण को उक्त आराजी पर आने जाने में परेशानी होती है व लडाई झगडा होने की संभावना रहती है। जिससे प्रार्थीगण की आराजी पडत रहने की नौबत आजाती हैं खसरा नं0 10 सरकारी भूमि में रास्ता नही होने के कारण आसपास के खातेदार

10 पर कब्जा जमाये बैठे है। अतः उक्त वर्णित आराजी पर काश्त करने के लिए सरकारी खसरा रकबा 1.68 है0 ग्राम मूण्डला में से राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 11.03.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी कम 1 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/31 दिनांक 30.05.2018 में अंकन किया कि खसरा नं0 10 ग्राम मूण्डला व रायथल की सीमा पर है जिसमें से 0.09 है0 प्रस्तावित रास्ता ग्राम मूण्डला व रायथल दोनो ग्रामों के काफी संख्या में काश्तकारों के लिए सुविधा जनक पडता है। उक्त खसरा नं0 10 रकबा 1.68 है0 में से 0.09 है0 प्रस्तावित रास्ता खसरा नं0 8 रकबा 7.01 है0 खसरा नं0 11 रकबा 1.07 है0 तक जाता है उक्त प्रस्तावित रास्ता लगभग 170 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा है मौके अनुसार उक्त भूमि पर रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नही है। उक्त भूमि पर रास्ता अंकन करने की अनुशंषा की जाती है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्श पर पहुचा है कि ग्राम मूण्डला की आराजी खसरा नं0 10 रकबा 1.68 है0 से ग्राम मूण्डला व रायथल दोनो ग्रामों के काफी संख्या में काश्तकार अपनी-अपनी आराजी में जाने-आने के लिए उपयोग करते हैं। अतः तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की अनुशंषा के आधार पर ग्राम मूण्डला की आराजी खसरा नं0 10 रकबा 1.68 है0 में से 0.09 है0 (170 मीटर लम्बा व 5 मीटर चौडा) को राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांगरोल को तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प रायथल मजमेंआम में सुनाया गया।